

देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

समाहर्ता या समुचित सरकार

—: अधिघोषणा :—

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

अधिघोषणा संख्या ---1039---/भू अ०

दिनांक-11/9/2020

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना- सिकिटिया (बवनगामा-पथरौल पथ पर) से शामिलपुर- बोचबांध- डुबा- बनवरिया- जियाखारा-मनीगढ़ी (सारठ-देवघर पथ एन०एच० 114ए पर) पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण परियोजना हेतु ग्राम-नवाडीह, थाना-सारवां थाना सं०-155, अंचल-सारवां, जिला-देवघर के कुल-0.09 एकड़ भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश 0.09 एकड़ है और जो ग्राम-नवाडीह, थाना-सारवां थाना सं०-155, अंचल-सारवां, जिला-देवघर में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क. सं.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)				
							उ०	द०	पू०	प०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	53	रैयती	बाड़ी-2	0.02	दरोगी मंडल पे०-भक्तु मंडल (ज०रै०)	अर्जित रकवा का अंश	मौजा जारा नं०-152	मौजा -बन डबरा नं०-156	मौजा डुबा नं०-53	
2	2	54	रैयती	बाड़ी-2	0.015	शुभकर मंडल वो लावो मंडल वो भुवनेश्वर मंडल वो प्यारेलाल मंडल पे०- बट्टी मंडल वो भुखन मंडल वो नकुल मंडल पे०-मोदी मंडल वो अंग्रेज मंडल वो निताई मंडल वो गउर मंडल पे०-पोचो मंडल वो शंति देवी पति-स्व० बहादुर मंडल वो सीताराम मंडल पे०-माड़वारी मंडल अंश समान सा० देह।					
3	2	55	रैयती	बाड़ी-2	0.015	चंचला देवी पति-स्व०नुनमेन मंडल वो सुजनी देवी पति-स्व०जगदीश मंडल वो रामदेव मंडल वो सरजु मंडल पे०-कंठी मंडल वो गंगीया देवी पति-स्व०मोती मंडल अंश समान सा०देह।					
4	2	56	रैयती	बाड़ी-2	0.02	रितु मंडल वो कामदेव मंडल पे०-ककु मंडल अंश समान वो गन्दोरी मंडल पे०-इन्द्रमन मंडल (ज०रै०)					
5	2	57	रैयती	बाड़ी-2	0.02	वासुदेव मंडल वो राजाराम मंडल पे०-गोखुल मंडल वो रितु मंडल वो कामदेव मंडल पे०-ककू मंडल वो बनवारी मंडल वो नन्दलाल मंडल पे०-इन्द्र मंडल वो केटकाही देव्या पति-स्व० बिहारी मंडल वो मोती मंडल माता स्व० कोदीया मंडलाईन वो अधीर मंडल वो कपिल मंडल वो गिरधारी मंडल पे०-वकील मंडल वो कोदी मंडल वो जगदीश मंडल पे० विदेशी मंडल अंश समान सा० देह।					
कुल रकवा-					0.09						

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम स0-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :

ग्रामX थाना X थाना संख्या X अंचल X जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी X के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

ज्ञापांक 1039 जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी देवघर, दिनांक 11/9/2020

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, सारवां को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

11/9/20
जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी
देवघर
7/9/20

अपर समाहर्ता
देवघर

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।